नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम व जागरूकता हेतु बैठक।
नोवेल कोरोना वायरस से बचाव ही बेहतर उपाय।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर काम करने के दिये निर्देश।

अमेठी 17 मार्च 2020, जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम व जागरूकता हेतु बैठक कैम्प कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के समन्वय से इसकी रोकथाम एवं जागरूकता फैलाने का निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में अभी तक कोरोना वायरस का एक भी संदिग्ध मरीज नहीं पाया गया है, फिर भी एहतियातन सभी विभाग एलर्ट रहते हुए आपसी समन्वय बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर कोरोना वायरस से बचाव के बारे में बताएं। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाय। यदि इससे संबंधित कोई भी मरीज मिले तो उसकी सूचना तत्काल कन्ट्रोल रूम के नम्बर के 8303457219, 9412048631 तथा 7905795033 पर कॉल करके दी जाय। उन्होंने कहा कि संदिग्ध मामलों में स्क्रीनिंग के आई0एल0आई0 या फ्लू कार्नर तैयार कर लें। चिकित्सालय (सरकारी व निजि) सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के चिकित्सालयों और आयुष व्यवसायियों सहित रजिस्ट्रीकृत सभी निजी चिकित्सा व्यवसायियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने कोविड–19 से ग्रसित देशों की यात्रा की है और जिसमें बुखार, खांसी या श्वांस सम्बन्धी या कोविड–19 के कोई चिन्ह या लक्षण हों उन्हें प्रशासनध् जिला निगरानी इकायी को भी अवगत करायें। जिलाधिकारी ने रेलवे प्रबन्धक, रोडवेज के ए0आर0एम0 को निर्देश दिये कि सार्वजनिक स्थानों पर हाथ धाने की व्यवस्था रखें। उन्होंने ए0आर0एम0 को निर्देश देते हुये कहा कि बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों का क्लीनअप अवश्य करायें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव हेतु सभी सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर, बैनर आदि प्रचार/जागरूकता हेतु लगा दें।

जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी तथा ईओ नगर पालिकाध्नगर पंचायत को निर्देश दिए कि वे गांव–गांव व नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने जनसामान्य से भी अपील करते हुए कहा है कि बचाव ही रोकथाम है। अपने हाथ बार–बार धोने के साथ ही तथा लोगों से एक मीटर की दूरी बनाएं रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि कोरोना को लेकर भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे जिले में कोटे की दुकानों पर कोरोना से बचाव सम्बन्धी जानकारियों का बैनर लगवाएं जिससे राशन लेने के लिए आने वाले लोगों को बचाव के बारे में जानकारी हासिल हो सके। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने का काम कराएं। इसके साथ ही स्कूल खुलने पर बच्चों को हाथ धुलने की विधि के बारे में वृहद रूप से बताएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रभुनाथ, अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आर.एम. श्रीवास्तव सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला सूचना कार्यालय अमेठी द्वारा जारी।

Created by Universal Document Converter